BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 108 OF 2023

IN THE MATTER OF:
LOKESH KUMAR KHURANA ..... **PETITIONER**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. .... **RESPONDENTS**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board	1—2
2.	**Annexure-1** Showcause notice dated 03.07.2024	3—4
3.	**Annexure-2** True copy of letter dated 03.09.2024	5—6

NEW DELHI
DATED: 03.09.2024

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT NEW DELHI

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC RENU BALA Reg. No. 16727 EXP : 31/01/25 Delhi GOVT. OF INDIA

ORIGINAL APPLICATION NO. 108 OF 2023

IN THE MATTER OF:

LOKESH KUMAR KHURANA .....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ....RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I, Bhuvan Prakash Yadav, S/o. Shri C.L. Yadav, aged about 46 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Meerut, U.P.at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the abovenoted capacity am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent to swear this affidavit.

2. That the U.P. Pollution Control Board has issued a showcause notice dated 03.07.2024 to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Meerut for failure to treat the Municipal Solid Waste in accordance with the Rules.

3. That in the notice the Municipal Commissioner has been asked to showcause as to why the compensation Rs. 5 Crores @ Rs. 10 Lakhs per month from 01.04.2020 to 01.05.2024 be not imposed. Copy of the said showcause notice is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC RENU BALA Reg. No. 16727 EXP : 31/01/25 Delhi GOVT. OF INDIA

4. That no reply to the said showcause was received.

5. That the U.P. Pollution Control Board vide letter dated 03.09.2024 has imposed the said compensation of Rs. 5 Crores on Nagar Nigam, Meerut for a period from 01.04.2020 to 01.05.2024 @ Rs. 10 lakhs per month. True copy of the said letter dated 03.09.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

6. That Nagar Nigam, Meerut has been directed to deposit the said amount of compensation within 15 days from receipt of the letter dated 03.09.2024.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge and belief. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 03rd DAY OF SEPTEMBER, 2024 AT NEW DELHI.

DEPONENT

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC
RENU BALA
Reg. No. 16727
EXP : 31/01/25
Delhi
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
RENU BALA REG No. 16727
NOTARY DELHI, EXP : 14/02/25
GOVERNMENT OF INDIA
- 3 SEP 2024

Annexure-I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H-13449 / सी-3 / ओ.ए. / 503 / मेरठ / 2024 दिनांक 03 / 07 / 2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ। (8395781802)

पंजीकृत

विषयः— पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ.ए. स0 108 / 2023 Lokesh Kumar Khurana Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:—

"6. We also find that though there is gross violation by the Municipal Corporation, Meerut in management and treatment of MSW but no punitive action by the UPPCB is on record. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now due action for imposition of Environmental Compensation will be taken. He is directed to file the action taken report within six weeks……"

उल्लेखनीय है कि बोर्ड के पत्रांक एच–50633 / सी–7 / ओए 606 / 18 / 20 दिनांक 07.07.2022 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबधन नियम 2016 के नियम 22 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु ठोस प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना एवं पुराने तथा परित्यक्त कूड़ा स्थलो के जैविक उपचार या कैपिंग किये जाने संबंधी समयसीमा निर्धारित करते हुये, इन नियमो के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना यथास्थिति, स्थानीय निकायो और अन्य संबंधित प्राधिकरणो द्वारा प्रत्यक्ष तथा स्वंय या नियोजित अभिकरणो द्वारा विनिर्दिष्ट समयसीमा में किया जाना प्राविधानित होने के दृष्टिगत निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को दोषी नगर निकायो पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपिण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा–5 के अतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अग्रेतर मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 606 / 2018 Compliance of Municipal solid waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 मे लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारंभ नही किये जाने की स्थिति मे नगर निकायो पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है जिसके अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत बोर्ड के पत्रांक एच 64633 / सी–7 / ओ.ए. संख्या 606 / 18 / 21 दिनांक 16.08.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा नगर निगम, मेरठ के विरूद्व ठोस अपशिष्ट प्रबधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 50 माह हेतु 10 / – लाख हेतु प्रति माह की दर से कुल 5.0 / – करोड रूपये (रूपये पाच करोड) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ.ए. स0 108 / 2023 Lokesh Kumar Khurana Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने नगर निगम मेरठ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यो न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने के दृष्टिगत नगर निगम मेरठ के विरूद्ध दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 50 माह हेतु 10 / – लाख हेतु प्रति माह की दर से कुल 5.0 / – करोड रूपये (रूपये पाच करोड) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबध मे पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर इकाई के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वंय का होगा।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Atul Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मेरठ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उवप्रव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशो के अनुपालन के सबध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रुप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atul Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–3

O/C

Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H16559/सी–3/जल/503/मेरठ/2024 दिनांक 03/09/2024

सेवा में,

पंजीकृत

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ.ए. सं0 108/2023 Lokesh Kumar Khurana Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

"6. We also find that though there is gross violation by the Municipal Corporation, Meerut in management and treatment of MSW but no punitive action by the UPPCB is on record. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now due action for imposition of Environmental Compensation will be taken. He is directed to file the action taken report within six weeks….."

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के पत्र दिनांक 24.08.2024 द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–H13449/सी–3/जल/503/2024 दिनांक 03.07.2024 के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने के दृष्टिगत नगर निगम मेरठ के विरूद्ध दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 50 माह हेतु 10/– लाख हेतु प्रति माह की दर से कुल 5.0/– करोड रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में नगर निगम, मेरठ मेरठ से कोई प्रतिउत्तर कार्यालय में प्राप्त नही होने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा नगर निगम मेरठ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.07.2024 की पुष्टि करते हुए रूपये 5.0/– करोड की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियो में मा. एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथॉडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर निगम मेरठ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनाक 03.07.2024 की पुष्टि करते हुए नगर निगम मेरठ के विरूद्ध दिनाक–01.04.2020 से दिनांक–01.05.2024 तक कुल 50 माह हेतु 10/– लाख हेतु प्रति माह की दर से कुल रूपये 5.0/– करोड की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रुप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 रूपये 5.0 करोड /– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अविलम्ब 15 दिवस में निम्नलिखित Payment Gateway एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Payment Gateway- **https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB**
Nature of Pollution- Waste Management
EC imposed in compliance- UPPCB Order

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–3

5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर निगम, मेरठ पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Himlesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–3

6

411

O.A. No.108/2023; Lokesh Kumar Khurana Vs. State of U.P. & Ors.

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: vibhavmishraoffice@gmail.com; akashvashishtha.06@gmail.com

Date: Tuesday, September 3, 2024 at 07:15 PM GMT+5:30

Sir,

Please find the attached Affidavit on behalf of UPPCB

With Regards

(PRADEEP MISRA)

SKM_28724090306520.pdf